न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 36 / 2018

1. रमजीराम पुत्र श्री तुलछाराम,
2. सीयाराम पुत्र श्री तुलछाराम,
3. बिदामीदेवी पत्नी श्री तुलछाराम,

सभी जाति जाट, निवासीगण जोरावरपुरा की ढाणी, मेड़ता शहर

तहसील मेड़ता, जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता
2. पटवारी हल्का, मेड़ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मेड़ता की सरहद में पुराने खसरा नम्बर 2758 रकबा 8 बीघा की जमीन प्रार्थीगण के पिता व पति श्री तुलछाराम पुत्र श्री मंगलाराम जी जाति जाट निवासी जोरावरपुरा की ढाणी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है। जिसको उक्त तुलछाराम जी ने तत्कालीन खातेदार रामभजन पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति सिखवाल(ब्राह्मण) निवासी मेड़ता से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के दिनांक 18.04.1981 को खरीद की थी और मौके पर कब्जा तत्कालीन खातेदार द्वारा करवाया गया। उक्त बैचाननामा में पाड़ौस अंकित है। जो निम्न प्रकार है :– जिसमें उत्तरी तरफ :– रास्ता मोकाला का, दक्षिणी तरफ :– लालाराम माली का खेत, पूरबी तरफ :– रामसुख माली का खेत, पश्चिमी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नग.)

Scanned by CamScanner

तरफ :— सांवताराम माली का का खेत उक्त पाडोस बीच की जमीन वादी की खरीदशुदा खातेदारी की काश्त व कब्जाशुद भूमि आयी हुई है। जो वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शित है। मगर हाल ही में हुए सेटलमेंट में प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन जो मौके पर काबिज अनुसार खसरा नम्बर 3057/5056 व खसरा नम्बर 3056, 3057 व 3048 कायम किये तथा इन खसरान के उत्तरी तरफ जो रास्ता मोकाला जाने का है, उसके खसरा नम्बर 3101 कायम किये। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन रकबा 1.30 हैक्टेयर है तथा रास्ता जो मोकाला जाने का है, जो खसरा नम्बर 3057/5056 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3101 रकबा 1.40 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3048 रकबा 0.52 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर है। जमाबंदी में तो खातेदारी का इन्द्राज सही रूप से दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन 1.30 हैक्टेयर बनती है तथा रेकर्ड में भी 1.30 हैक्टेयर है इसमें कोई त्रुटि नही है। मगर नजरी नक्शा में जो जमीन तरमीम की है, उसमें त्रुटि हुई है। इस प्रकार इस त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थीगण की मौके पर काबिज अनुसार खसरा नम्बर 3057/5056, खसरा नम्बर 3057, 3056 व खसरा नम्बर 3048 के दक्षिणी तरफ की रकबा 1.30 हैक्टेयर की जमीन प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जाकर व इन तीनों खसरान की दक्षिणी तरफ की नजरी नक्शा में मार्क 'ई' से 'एफ' रकबा 0.86 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में दर्ज की जानी आवश्यक है। इस प्रकार संलग्न नजरी नक्शा में बताई मार्क ई से एफ रकबा 0.86 हैक्टेयर जमाबंदी में भी रास्ता दर्ज है और यह रास्ता मे रेकर्ड मे दर्ज खसरा नम्बर 3101 रकबा 1.40 हैक्टेयर है। दोनों समान्तर लम्बाई के मौके पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा हाल ही में प्रार्थीगण को धारा 91 एल.आर. एक्ट का जो नोटिस जारी किया जिसमें प्रार्थीगण को इस रेकर्ड अशुद्धि की जानकारी हुई। जिससे प्रार्थीगण रेकर्ड दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

फरमाया जाकर मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 3056, 3057, 3057/5056 व 3048 की दक्षिणी तरफ की रकबा 1.30 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जाकर व इन तीनों खसरान की उत्तरी तरफ की रकबा 0.86 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र के समर्थन में मौजा ग्राम मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 1135, 229, 01, नक्शा ट्रेस फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 खाता संख्या 1268, गिलान क्षेत्रफल, बैचान रजिस्ट्री फोटो प्रति आदि पेश किये।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेहि तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने अपने पत्रांक भू.अ./शुद्धि/2018/622 दिनांक 20.06.2018 द्वारा पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. मेड़ता की मूल रिपोर्ट मय अभिशंषा के साथ भिजवायी है जिसमें लिखा है कि प्रार्थी रमजीराम पुत्र श्री तुलछाराम वगैराह ने एक वाद मुकदमा नम्बर 36/18 पेश किया। जिसका जवाब निम्न प्रकार है :– (1) प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट(धोल्या) निवासी जोरावरपुरा की ढाणी वालों ने ग्राम मेड़ता के पुराने खसरा नम्बर 2758 रकबा 8 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के दिनांक 18.04.1981 को रामभजन पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति सिखवाल ब्राह्मण से खरीद की थी। इस बैचाननामा के द्वारा खरीदी गई भूमि के पाड़ौस रजिस्ट्री में इस प्रकार थे :– पश्चिम में सांवताराम माली का खेत, पूर्व में रामसुख माली का खेत व बामण्डी नाडी, उतराद रास्ता मोकाला का, दिखणाद लाला माली का खेत तथा बाबुलाल का खेत, गोपा भंवरू का खेत, पूना जाजड़ा का खेत, उपरोक्त पाड़ौस बीच स्थित 8 बीघा भूमि का कब्जा, काश्त, सौंपा गया था व इसी अनुसार वर्षो से काबिज चले आ रहे है। (2) यह है कि नये सेटलमेंट में उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 2758 रकबा 8 बीघा के नये खसरा नम्बर 3056

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम किया है। जो पुरानी रजिस्ट्री में दर्शाये पाड़ौस व कब्जे के अनुसार नही किया है। रजिस्ट्री में बताये पाड़ौस के अनुसार पूर्व में रामसुख माली व बामडी नाड़ी से पश्चिम में सांवताराम माली के खेत तक लम्बाई में खातेदारी थी। जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी नये खसरा नम्बर 3048, 3056, 3057, 3057/5056 में दक्षिणी तरफ खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी। जिसका नजरी नक्शा रिर्पोट में दर्शित है। इस प्रकार नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खरसा नम्बर 3048 रकबा 0.52 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 में से 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057/5056 रकबा 0.34 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर दक्षिणी भूमि प्रार्थीगण रमजीराम पुत्र श्री तुलछाराम, सीयाराम, तुलछाराम, बिदामीदेवी पत्नी श्री तुलछाराम कोम जाट सा. जोरावरपुरा की ढाणी के नाम खातेदारी शुद्धि की जाना उचित है व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से 0.33 हैक्टेयर कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर(उत्तरी तरफ की) भूमि गै.मु. रास्ता शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्त शुद्धि से ग्राम के रकबे पर कोई अन्तर नही पड़ेगा।

4. विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि तहसीलदार मेड़ता द्वारा मौका एवं रेकर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट भिजवायी है, जिसमें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की ताईद की है। अतः माफिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा रेकर्ड में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने अपने पत्रांक भू.अ. /शुद्धि/2018/622 दिनांक 20.06.2018 द्वारा पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. मेड़ता की मूल रिपोर्ट मय अभिशंषा के साथ भिजवायी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (सव.)

Scanned by CamScanner

है जिसमें लिखा है कि प्रार्थी रमजीराम पुत्र श्री तुलछाराम वगैराह ने एक वाद मुकदमा नम्बर 36/18 पेश किया। जिसका जवाब निम्न प्रकार है :– (1) प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट(धोल्या) निवासी जोरावरपुरा की ढाणी वालों ने ग्राम मेड़ता के पुराने ख़सरा नम्बर 2758 रकबा 8 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के दिनांक 18.04.1981 को रामभजन पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति सिखवाल ब्राह्मण से खरीद की थी। इस बैचाननामा के द्वारा खरीदी गई भूमि के पाड़ौस रजिस्ट्री में इस प्रकार थे :– पश्चिम में सांवताराम माली का खेत, पूर्व में रामसुख माली का खेत व बामण्डी नाडी, उतराद रास्ता मोकाला का, दिखणाद लाला माली का खेत तथा बाबुलाल का खेत, गोपा भंवरू का खेत, पूना जाजड़ा का खेत, उपरोक्त पाड़ौस बीच स्थित 8 बीघा भूमि का कब्जा, काश्त, सौंपा गया था व इसी अनुसार वर्षो से काबिज चले आ रहे है। (2) यह है कि नये सेटलमेंट में उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 2758 रकबा 8 बीघा के नये खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर कायम किया है। जो पुरानी रजिस्ट्री में दर्शाये पाड़ौस व कब्जे के अनुसार नही किया है। रजिस्ट्री में बताये पाड़ौस के अनुसार पूर्व में रामसुख माली व बामडी नाड़ी से पश्चिम में सांवताराम माली के खेत तक लम्बाई में खातेदारी थी। जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी नये खसरा नम्बर 3048, 3056, 3057, 3057/5056 में दक्षिणी तरफ खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी। जिसका नजरी नक्शा रिर्पोट में दर्शित है। इस प्रकार नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खरसा नम्बर 3048 रकबा 0.52 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 में से 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057/5056 रकबा 0.34 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर दक्षिणी भूमि प्रार्थीगण रमजीराम पुत्र श्री तुलछाराम, सीयाराम, तुलछाराम, बिदामीदेवी पत्नी श्री तुलछाराम कोम जाट सा.

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

जोरावरपुरा की ढाणी के नाम खातेदारी शुद्धि की जाना उचित है व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.69 हैंक्टेयर में से 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से 0.33 हैक्टेयर कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर(उत्तरी तरफ की) भूमि गै.मु. रास्ता शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्त शुद्धि से ग्राम के रकबे पर कोई अन्तर नही पड़ेगा। चुंकि तहसीलदार मेड़ता, आई.आर., व पटवारी मेड़ता द्वारा मौका एवं रेकर्ड की जांच कर रिपोर्ट भिजवायी है। अतः तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. /शुद्धि/2018/622 दिनांक 20.06.2018 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

1. तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./शुद्धि/2018/622 दिनांक 20.06.2018 द्वारा की गई अभिषंशा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार की उक्त अभिषंशा रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, अन्यथा कोई आदेश, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner